

स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ0सं0-6/एन-08-43/2018.....

/पटना-15, दिनांक-

शुभवन्ती सुदामा राय फाउण्डेशन, बिहार पब्लिक स्कूल कैम्पस, राम देव नगर, सिवान द्वारा प्रस्तावित शुभवन्ती इन्स्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन, पचौरा, सिवान के अंतर्गत बी0एस0सी0 (नर्सिंग) संस्थान संचालन के लिए अनुमति हेतु आवेदन, शपथ-पत्र एवं अन्य अभिलेख समर्पित किया गया।

(2) आवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरंत नर्सिंग-रिकोगनिशन एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ इकजामिनेशंस ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम-04 के उपनियम-II के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानानुसार शुभवन्ती इन्स्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन, पचौरा, सिवान के नाम से बी0एस0सी0 (नर्सिंग) संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की जाती है।

(3) भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली द्वारा निर्गत मार्गदर्शन तथा स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-116(6) दिनांक-15.02.2017 में दिए निदेश के आलोक में संस्थान द्वारा भवन निर्माण करने एवं नियमानुसार भौतिक संसाधनों एवं मानव संसाधनों की उपलब्धता के पश्चात् संस्थान द्वारा मान्यता के लिए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को आवेदन पत्र समर्पित करना होगा तथा मान्यता प्राप्ति के पश्चात् ही विद्यार्थियों का नामांकन कर पठन-पाठन का कार्य आरंभ होगा।

ह0/-

(डा0 आर0डी0 रंजन),

निदेशक प्रमुख,

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना

पटना, दिनांक:- 11/10/18

ज्ञापांक:- 1041(6)

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सचिव, शुभवन्ती सुदामा राय फाउण्डेशन, बिहार पब्लिक स्कूल कैम्पस, राम देव नगर, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख,

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना